

रकवा (डिसामिल में भी अवस्य लिखें)- 7.41 (सात दशमलय चार चार एक) डींंं यांनी दो कड़ा s.(क) सम्पत्ति का विवरण-हाकियता – मौरुसी बजरीए बाँट बखुदहा के हक हिस्सा खास भूमि का वर्ग – भूमि का वर्ग- आवासीय मृत्य

(ख) ग्रामीण क्षेत्र कृषि- ग्रामीण क्षेत्र

(ग) भवन की स्थिति में- नहीं है

(1) निर्माण वर्ष- नहीं है

(II) किस सड़क पर अवस्थित है— नहीं है

(।।।) संरचना का प्रकार- नहीं है

(घ) भूमि पर पेड़ होने या उद्यान की स्थिति में नहीं है राजस्व अंचल कार्यालय- बसंतपुर राजस्व थाना नं0- 329 (तीन सौ उनतीस) तौजी नं0- 6125 (एकसट सौ पच्चीस) जमाबंदी नं0- 20/29 राजस्व मौजा— बगहीं राजस्व हल्का— बैजु बरहोगा निबंधन कार्यालय का नाम- बसंतपुर राज्य- बिहार जिला- सिवान खाता नं0- 28 (अटाईस) खेसरा नं0<u> 105 (एक</u> सौ पॉच) रकबा- 7.441 (सात दशमलव चार चार एक) डी० यानी दो कट्टा

## चौहददी

उतर- ललन सिंह दक्षिण- अव्यकिशोर सिंह पूरब नीज लेख्यकारीगण वो जनार्दन सिंह वोगैरह पश्चिम- विक्रमा सिंह

हिकियत यह है कि खाना न0 5 पाँच की सम्पत्ति मौरुसी से प्राप्त है। इस प्रकार बिक्रेता खाना न0 5 पींच की सम्पत्ति पर काबिज दाखील है तथा बिक्रय की जा रही सम्पत्ति उनके पूर्ण स्वामित्व में है तथा वे बिहार सरकार के खाते में नाम दर्ज कराकर दखल कब्जा में है। उक्त सम्पत्ति पर कोई ऋण भार एवं अन्य प्रमार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में उक्त समपत्ति विवादास्पद है। इधर लेख्यकारी की वास्ते करने

General East

बन्द जरुरी खर्च के लिए रुपये की जरुरत है बगैर जमीन बिक्रय किये रुपये की पुर्ति होना नामुमिकन हैं । इसलिए लेख्यकारी ने खाना न0 5 पॉय की सम्पत्ति को पूर्ण होस वो हवास में बेचने का ऐलान वो प्रचार प्रसार किया। वो मामला बैनामा का साथ लेख्यधारी मीठ 1,42,000 (एक लाख बेयालीस हजार) रु० में पोख्तेपंज हुआ वो लेख्यधारी बैनामा लिखवाने पर अमादे हुऐ इस प्रकार कुल 1,42,000 (एक लाख बेयालीस हजार) रु० कवल में वसुल पा चुके है अब कुछ पावना बाकी नहीं है न रहेगा लेख्यकारी ने लेख्यधारी का खाना न0-5 पाँच की सम्पत्ति पर दखल कब्जा दे दिया तथा लेख्यधारी को यह अधिकार दिया की खाना न0-5 पाँच की सम्पत्ति लेख्यकारी या उसके वारिसान को किसी तरह का हक अधिकार नहीं रहेगा अगर कोई कहे भी तो कानुनन गलत एवं अवैध होगा। लेख्यकारी ने लेख्यधारी को यह विश्वास दिलाया की खाना न0-5 पॉच की सम्पत्ति सभी तरह के ऋण भार से मुक्त है तथा स्वत्व दखल कब्जा में कोई झंझट नही है। अगर भविष्य में किसी तरह का नुक्स हकियत या दखल कब्जा स्वत्व मे त्रुटि निकले तो लेख्यकारी को सभी खर्च सुद एवं खर्चा / हर्जाना के साथ देना होगा। यह की विक्रय-पत्र निष्पादन की तिथि से क्रेता उक्त सम्पत्ति को किसी को भी हस्तांतरित करने एवं इच्छा अनुसार उपयोग करने के लिये स्वतंत्र है। इस प्रकार लेख्यकारी ने अपने तनमन कि पूर्ण स्वस्थता मे एवं शुभ चिन्तको, संबंधियो, परिवारो से राय, मशविरा कर यह बिक्रय-पत्र लिखा एवं लेख्यधारी क्रेता को उसका दखल कब्जा एवं स्वामित्त्व अन्तरित कर दिया। अब क्रेता अंचलाधिकारी, कारपोरेषन, मुनस्पैलिटी या बिहार सरकार के अन्य कार्यालय जहां जहां उचित समझें अपना नाम दर्ज करा लेवेंगे तथा जिस तरह उचित समझें उपर्युक्त एराजी को उपयोग एवं उपभोग में लावेंगे । इस प्रकार यह बिक्रय-पत्र दस्तावेज लिख दिया कि समय पर काम आवें।

यह विलेख बिक्रय -पत्र आज दिनांक 21-02-2023 एक्कीस फरवरी र तेईस को गवाहों के -वो हजार तेईस को गवाहों के समक्ष निष्पादित किया जो गवाहों के हस्ताक्षर से संतुष्ट होते है। उक्त जमीन/मकान/भू-हदबन्दी से मुक्त है/-भूदान/लालकार्ड/गैरमजरुशन भूदान/लालकार्ड/गैरमजरुआ/आम/ खास से संबंधित नहीं है। दोनो पक्षकार यह घोषणा करते है कि दस्तावेज में भूमि की किस्म या संरचना संबंधी कोई साक्ष्य नहीं छुपाया गया है भविष्य में गड़बड़ी पाये जाने पर पक्षकार द्रणद सहित करे पर पक्षकार दण्ड सहित कमी शुल्क का देनदार होगा। क्रेता का हस्ताक्षर बिक्रेता का हस्ताक्षर

अंबर कमार Par Bowl

21.02-2023

गवाह का हस्ताक्षर

1. 57611 GAE 31511 CATE 3110 - 01 51 ET 21-02-2023 MENINE

2.

21-02-2023





21-02-2023

नादप कारी अंबुर बुमार मितानी जा नमां भारवेश्वर यह 21-02.2023

नजरी नवशा लीकी नंबर 612 5

थाना नंबर 329

खाता न0 28


सर्वे न0 105


वार्ड न0

जमाबंदी न0 20/29

चौहददी

भेप भेरहाकारीमा विक्रमा सिंह मे धनाईन हिंह भेरतह





नोट-200 मीटर की त्रिज्या में

ह० विकेता

21-02-2023

Q1-02-2023